


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर  
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री ज्ञानचन्द गोलिया, प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण राउमावि-लबान, बून्दी से राउमावि-लाखेरी, वार्ड नं-15 बून्दी एवं श्री सच्चिदानन्द शर्मा का स्थानान्तरण राउमावि-लाखेरी, वार्ड नं 15 बून्दी से राउमावि-कडैया नोहर, छबडा, बारां किया गया था। तत्पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री गोलिया को राउमावि-लबान से राउमावि-लाखेरी, वार्ड नं 15 बून्दी (स्थानान्तरणाधीन) मानते हुए राउमावि-कडैया नोहर, छबडा, बारां में एवं श्री सच्चिदानन्द शर्मा को राउमावि-लाखेरी, बून्दी से राउमावि-कडैया नोहर, छबडा, बारां (स्थानान्तरणाधीन) मानते हुए राउमावि-लाखेरी, बून्दी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया।

श्री ज्ञानचन्द गोलिया द्वारा स्वयं को राउमावि-लाखेरी से राउमावि-कडैया नोहर स्थानान्तरित किये जाने के विरुद्ध माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 922/2018 श्री ज्ञानचन्द गोलिया बनाम राजस्थान राज्य दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.06.2018 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 30.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री ज्ञानचन्द गोलिया के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया।

इस प्रकार श्री गोलिया के माननीय अपील अधिकरण से स्थगन प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप राउमावि-लाखेरी बून्दी में दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 18.06.2018 की अनुपालना में श्री ज्ञानचन्द गोलिया राउमावि-लाखेरी, वार्ड नं 15, बून्दी में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन यथावत कार्यरत रहेंगे और श्री सच्चिदानन्द शर्मा को माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राउमावि-इन्द्रगढ, वार्ड नं 12, बून्दी में स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/ज्ञानचन्द/922/2018/ दिनांक 27-6-18  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बून्दी/बारां।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी
8. निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)